# <u>गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार</u>

## <u>छात्रावास में मैस संचालन हेतु नियम एवं शर्तें</u>

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पं0 गुरुदत्त विद्यार्थी, पं0 लेखराम तथा स्वामी श्रद्वानन्द छात्रावासों में **वर्ष 2018–19 हेतु** छात्रों की मैस व्यवस्था के लिये लेबर कन्ट्रैक्टर/मैस लेबर सप्लायर/मैस कन्ट्रेक्टर **(केवल पुरुष व्यक्तियों)** से छात्रावास में लगभग 500 छात्रों हेतु संलग्न मेनू के अनुसार सुबह को नाश्ता, दोपहर को भोजन (जिसमें कार्य दिवसों में लगभग 400 छात्रों का भोजन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय निकट शनिदेव मंदिर, बहादराबाद में देय होगा, छात्रों की संख्या घट–बढ़ भी सकती है।) शाम की चाय, रात्रि का भोजन हेतु **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404 के नाम प्रेषित <u>सीलबन्द कोटेशन दिनांक 15.06.2018 को अपराह्न 03:00 बजे</u> तक संलग्न नियम एवं शर्तों के साथ केवल पंजीकृत अथवा स्पीड–पोस्ट के द्वारा आमन्त्रित की जाती हैं ।** लिफाफे के ऊपर **<u>मैस हेतु कोटेशन</u>** अवश्य लिखा होना चाहिए । सीलबन्द कोटेशन **<u>दिनांक 15.06.2017 को ही अपराह्न 03:30 बजे</u>** कुलसचिव कार्यालय में खोले जायेंगे । नियम एवं शर्तें निम्न है :–

1. मैस में खाना बनाने, खाना सप्लाई करने एवं खाना सर्व करने हेतु सभी बर्तन ठेकेदार का होगा । जो कि स्वास्थ्य मानकों के अनुरुप होंगे ।
2. मैस की सम्पूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। जिसमें कोई कोताही बरदास्त नही की जायेगी ।
3. मैस ठेकेदार को लगभग 400–500 छात्रों को खाना खिलाने एवं बनाने का अनुभव होना चाहिए ।
4. मैस में उचित मात्रा में कुक, लेबर तथा एक सुपरवाईजर की व्यवस्था करनी होगी ।
5. उपरोक्त छात्रावासों में केवल छात्र ही आवास करते हैं। अतः मैस में केवल पुरुष कर्मियों से ही कार्य लेना होगा । श्रम कानून के अन्तर्गत आने वाली समस्त अनुज्ञप्ति एवं प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है ।
6. मैस में सभी सामान जैसे दालें, चावल, मसाले, तेल एवं घी इत्यादि अच्छे क्वालिटी/किस्म (Branded Company) की होनी चाहिए । सभी खाद्यान्न बिना पालिस के होने चाहिए ।
7. मैस ठेकेदार को प्रतिमाह रु.45000/– प्रतिमाह मेंटिनेंस शुल्क के रुप में जमा करने होंगे ।
8. यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अवकाशों में तथा गम्भीर रुप से बीमारी की अवस्था में छात्रावास में उपस्थित नही रहता तो उस छात्र द्वारा अनुपस्थिति के दिनों में (03 दिन से अधिक होने पर ही) केवल लेबर चार्ज ही देय होगा, जो लगभग 40 प्रतिशत होगी ।
9. मैस में छात्रों को सुबह का नाश्ता प्रातः 07:30 से 09:00 बजे तक, दोपहर का भोजन अपराह्म 01:00 बजे से 02:30 बजे तक, शाम की चाय सायं 05:00 बजे से 06:00 बजे तक तथा रात्रि का भोजन रात्रि 08:00 बजे से 09:30 बजे तक देना होगा । उपरोक्त वर्णित समय सारिणी का निर्वहन कठोरता से करना होगा ।
10. नाश्ता तथा भोजन एवं खाने के बर्तन डाईनिंग हॉल के बाहर नही दिये जायेंगे । केवल अत्यन्त रुप से अस्वस्थ छात्रों को ही उनके कमरों में नाश्ता एवं भोजन वार्डन की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् देय होगा ।
11. अस्वस्थ छात्रों को चिकित्सक के परामर्शानुसार तीनों समय तथा निर्धारित अवधि तक भोजन देना होगा ।
12. विश्वविद्यालय की तीनों मैस हेतु बारदाना, खाना बनाने एवं सर्व करने वाले व्यक्ति अलग–अलग होने चाहिए अर्थात तीनों मैस हेतु अलग–अलग व्यवस्था करनी होगी । सभी मैस कर्मचारी उचित एवं स्वच्छ वेश–भूषा में रहेंगे।
13. बी0टेक0 के लगभग 400 (छात्रों की संख्या घट–बढ़ भी सकती है।) छात्रों को विश्वविद्यालय कार्य–दिवसों में दोपहर का भोजन FET निकट शनिदेव मंदिर, बहादराबाद परिसर में देना होगा ।
14. किसी भी वाद की स्थिति में सर्वाधिकार माननीय कुलपति जी का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा ।
15. कोई भी विवाद होने पर न्यायाधिकार क्षेत्र जिला न्यायालय, हरिद्वार होगा ।
16. ठेकेदार के पास मैस संचालन हेतु FSSAI का वैध लाइसेंस होना चाहिए ।
17. खाने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा, जिसमें आर्थिक दण्ड या ठेका निरस्तीकरण भी शामिल होगा ।
18. चयनित कॉन्ट्रेक्टर को रु.2,00,000/–की धनराशि अनुबन्ध पत्र के साथ अग्रिम जमानत के रुप में विष्वविद्यालय में जमा करनी होगी ।
19. विश्वविद्यालय के छात्रावासों/परिसरों में धूम्रपान एवं मद्यपान पूर्णतः निषेध है, जिसका पालन करना आवश्यक होगा।

**अध्यक्ष**
**मैस समिति, गु0कां0 वि0वि0, हरिद्वार**

**कुलसचिव**
**गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार**

# <u>कोटेशन का प्रारुप</u>

| ठेकेदार की नवीनतम फोटो |
|---|

| क0 सं0 | विवरण | ठेकेदार द्वारा अंकित की जाने वाली सूचनाएं |
|---|---|---|
| 1. | ठेकेदार का नाम | |
| 2. | पिता का नाम | |
| 3. | पत्र व्यवहार का पूरा पता | |
| 4. | स्थायी पता | |
| 5. | फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर | |
| 6. | FSSAI का लाईसेंस संख्या एवं वैधता तिथि **(फोटो कापी आवश्यक रुप से संलग्न करें)** | |
| 7. | ठेकेदार का आधार नम्बर **(फोटो कापी आवश्यक रुप से संलग्न करें)** | |
| 8. | मैस दर प्रति छात्र प्रतिमाह, जी0एस0टी0 सहित **(भोजन सामग्री के साथ तथा संलग्न मेनू के अनुसार)** | |
| 9. | मैस दर प्रति छात्र प्रतिदिन, जी0एस0टी0 सहित **(नाश्ता, दिन का भोजन और रात्रि का भोजन) (भोजन सामग्री के साथ तथा संलग्न मेनू के अनुसार)** | |
| 10. | मैस दर प्रति छात्र, जी0एस0टी0 सहित **(केवल लेबर चार्ज संलग्न मेनू के अनुसार भोजन बनाने तथा सर्व करने हेतु)** | |
| 11. | चाय 150 मिली, जी0एस0टी0 सहित **(अलग से लेने पर)** | |
| 12. | दूध चीनी के साथ 200 मिली, जी0एस0टी0 सहित **(अलग से लेने पर)** | |
| 13. | दही 200 मिली, जी0एस0टी0 सहित **(अलग से लेने पर)** | |
| 14. | पूर्व में किये गये कार्य अनुभव का विवरण **(सम्बन्धित कार्यदाता संस्थान द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)** | |

**नोट :– 1.** उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 14 तक में सूचना अंकित करना आवश्यक है ।

**2.** मैं घोषणा करता हूं कि बिन्दु संख्या 01 से 14 तक में मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचना एवं सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण रुप से सत्य एवं सही है । उपरोक्त में किसी भी समय पर कोई भी सूचना एवं प्रपत्र गलत पाये जाने पर मेरा मैस आवेदन/मैस अनुबन्ध कभी भी निरस्त कर दिया जाये ।

**मैस ठेकेदार के हस्ताक्षर**

नाम......................................

पूरा पता..............................

............................................

............................................

# <u>गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार</u>

## <u>मैस मेनू</u>

**सुबह का नाश्ता :–** सादा पराठा (03 पीस) रसेदार आलू के साथ तथा चाय या आलू/गोभी/मूली पराठा (02 पीस) आचार व चटनी के साथ या छोले–भटूरे (02 पीस) या पूरी–सब्जी (05 पीस) ।

**दोपहर का भोजन :–** रोटी, चावल (राम जवान या छोटा बासमती), दाल, सब्जी, अचार, सलाद, रायता (बूंदी, खीरा, प्याज में से कोई एक बदलकर) ।

**शाम की चाय :–** 150 मिली चाय ।

**रात्रि का भोजन :–** रोटी, चावल (राम जवान या छोटा बासमती), दाल, सब्जी, अचार, सलाद, रायता (बूंदी, खीरा, प्याज में से कोई एक बदलकर) ।

**नोट :–**

1. सप्ताह में प्रत्येक दिन तथा दोपहर एवं रात्रि के भोजन में दाल एवं सब्जी अलग–अलग होनी चाहिए।
2. दाल के स्थान पर सप्ताह में दिन के भोजन में दो बार कढ़ी/मलका, राजमा/छोले देना होगा ।
3. सप्ताह में एक बार रात्रि को पनीर की सब्जी (एक कटोरी काउंटर से देय) तथा एक पीस काला जाम या गुलाब जामुन देना होगा ।
4. उपरोक्त मैस मीनू एवं बिन्दु 1 से 3 तक के अनुसार मैस कान्ट्रेक्टर को साप्ताहिक मीनू को तैयार कर प्रत्येक छात्रावास में लगाना आवश्यक है।
5. मैस मेनू में परिवर्तन छात्रावास अध्यक्ष की अनुमति से ही किया जा सकता है ।

**अध्यक्ष**
**मैस समिति, गु0कां0 वि0वि0, हरिद्वार**

**कुलसचिव**
**गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार**